बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

संचिका संख्या-स०क०निग०-145/2024 (खण्ड-3)-..5080.. /संयुक्त निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना के ज्ञापांक-58/मु० दिनांक-09.08.2024 द्वारा दिनांक-05.08.2024 को बाल विकास परियोजना, मनिहारी अन्तर्गत दो ऑगनबाड़ी केन्द्रों यथा केन्द्र संख्या-134 एवं 139 तथा बाल विकास परियोजना मनसाही अंतर्गत दो आँगनबाड़ी केन्द्र यथा केन्द्र संख्या-49 एवं 50 की औचक निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

बाल विकास परियोजना मनिहारी अंतर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों के जॉच प्रतिवेदनानुसार दोनों केन्द्रों पर क्रमशः 11 एवं 15 बच्चे हीं उपस्थित पाये जाने, केन्द्र सं०-134 पर सेविका विलंब से केन्द्र पर आने, केन्द्र पर उपस्थिति पंजी नहीं पाये जाने, दैनिक पोषाहार की गुणवत्ता ठीक नहीं पाये जाने, बच्चों को नास्ता दिया हुआ नहीं पाये जाने, केन्द्र पर नामांकित 30 बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं होने, विभागीय मानकों के अनुरूप केन्द्र का संचालन नहीं होने तथा आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या-139 की सहायिका अनुपस्थित पाये जाने, निरीक्षण के समय 11.30 AM बजे केन्द्र बंद पाये जाने परंतु बच्चे केन्द्र से जाते हुये / रास्ते में दिखायी नहीं देने, केन्द्र पर पोषाहार निर्माण का कोई साक्ष्य नहीं पाये जाने, केन्द्र पर खाना बनाने की व्यवस्था नहीं होने, सेविका द्वारा निरीक्षण के दिन पोषाहार नहीं बनने की बात स्वीकार किये जाने, इस केन्द्र पर माह दिसम्बर, 2023 के बाद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किये जाने, इस केन्द्र पर 15 बच्चों की उपस्थिति बनायी गई है, परंतु पोषाहार 35 बच्चों को भेजे जाने, केन्द्र पर नया वजन मशीन नहीं पाये जाने, टेक होम राशन पंजी / स्टॉक पंजी उपलब्ध नहीं रहने, ग्रामीण शेख साहिल द्वारा उनकी बहू काजल बेगम को पूरे नौ महीने तक (गर्भकाल) कोई टी०एच०आर० नहीं दिये जाने का उल्लेख किया गया है।

बाल विकास परियोजना, मनसाही अंतर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों के जॉच प्रतिवेदन के अनुसार दोनों केन्द्रों पर क्रमशः 15 एवं 11 बच्चे हीं उपस्थित पाये जाने, केन्द्र सं०-49 पर सहायिका अनुपस्थित पाये जाने, 05 ही बच्चे पोशाक में पाये जाने, केन्द्र पर उपलब्ध सुधा दुग्ध चूर्ण आठ महीने तक (उपयोग की अवधि छः माह) सेविका द्वारा वितरीत नहीं किये जाने, केन्द्र पर रोकड़बही, THR पंजी, पोशाक वितरण पंजी विधिवत संधारित नहीं पाये जाने, पोषाहार निर्माण की व्यवस्था नहीं होने, गैस चूल्हा केन्द्र पर नहीं पाये जाने, केन्द्र का संचालन संतोषप्रद नहीं पाये जाने तथा केन्द्र सं०-50 पर वजन मशीन नहीं पाये जाने, पोषाहार की निर्माण की व्यवस्था नहीं पाये जाने, बच्चों की हाजरी सेविका पति द्वारा बनाने की स्थिति पाये जाने, बच्चों को नास्ता नहीं दिये जाने प्रभारी सेविका सप्ताह में तीन दिन हीं आने, केन्द्र लकड़ी से निर्मित टाटी में संचालित पाये जाने आदि का उल्लेख किया गया।

जॉच प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित कमियों / अनियमितताओं की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरांत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मनिहारी एवं मनसाही, कटिहार को आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुचारू संचालन में पूर्णतः विफल रहना पाते हुए उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया गया था। तदालोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-3875 दिनांक-14.08.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) के तहत श्रीमती संगीता मिंकी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मनिहारी अतिरिक्त प्रभार मनसाही, कटिहार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।

तत्क्रम में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इन्हें निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अत: उक्त परिपेक्ष्य में श्रीमती संगीता मिंकी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मनिहारी अतिरिक्त प्रभार मनसाही, कटिहार सम्प्रति निलंबन अवधि का मुख्यालय- आयुक्त कार्यालय, मुंगेर को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

1. श्रीमती संगीता मिंकी को आदेश दिया जाता है कि वे निलंबनमुक्ति के पश्चात अपना योगदान विभागीय मुख्यालय में देना सुनिश्चित करें।
2. निलंबन अवधि के लिए देय वेतन के बिन्दु पर विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।
3. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अलग से आदेश निर्गत की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27/6/25

(योगेश कुमार सागर)
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स०क०निग०-145/2024 (खण्ड-3)- 5080 पटना-15 दिनांक :- 27.6.2025

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

27/6/25

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स०क०निग०-145/2024 (खण्ड-3)- 5080 पटना-15 दिनांक :- 27.6.2025

निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, मुंगेर/पूर्णियाँ/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी/कटिहार/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ विशेष कार्य पदाधिकारी (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ विभागीय आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु)/श्रीमती संगीता मिंकी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मनिहारी अतिरिक्त प्रभार मनसाही, कटिहार सम्प्रति निलंबन अवधि का मुख्यालय-आयुक्त कार्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/6/25

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।